BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 11 सितम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर 03 हत्यारोपियों को आजीवन सश्रम कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. अलीम, 2. अजीज, 3. कलाम पुत्रगण अब्दुल करीम निवासीगण मौ0 चौधरीवाडा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2012 में एक महिला की घर में घुसकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 29.11.2012 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 814/12 धारा-147,452,302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 10.05.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 11.09.2023 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-01, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. अलीम, 2. अजीज, 3. कलाम को सश्रम आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विजय कुमार शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर